

प्रधान महालेखाकार कार्यालय (लेखापरीक्षा-I), मध्य प्रदेश
ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर

कार्यालय आदेश-107 (हिंदी संस्करण)

सं. एसएमयू/2025-26/एफ-46/का.आ. 107

दिनांक 09/11/2025

विषय: मुख्य परिणाम क्षेत्रों (केआरए) के लिए मात्रात्मक स्व-मूल्यांकन का प्रस्तुतिकरण।

1.0 प्रधान महालेखाकार के प्रत्यक्ष अधीन कार्यरत सभी समूह अधिकारी तथा सभी शाखा अधिकारी अपने केआरए में दी गई प्रत्येक गतिविधि के अनुसार मात्रात्मक स्व-मूल्यांकन (लक्ष्य प्राप्त/अप्राप्त, साथ ही यदि कोई बाधाएँ हों तो उनका उल्लेख) प्रस्तुत करेंगे।

1.1 केआरए के लिए स्व-मूल्यांकनों की निगरानी द्विवार्षिक आधार पर छमाही अंतराल पर प्रधान महालेखाकार द्वारा की जाएगी। इसलिए, प्रथम स्व-मूल्यांकन 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 की अवधि के लिए होगा।

2.0 सभी संबंधितों को यह ध्यान रखना चाहिए कि समीक्षा प्राधिकारी द्वारा वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) के मूल्यांकन के लिए यह एक अनिवार्य पूर्वपेक्षा है।

3.0 अंतिम तिथि- 30.11.2025 (केआरए के लिए प्रथम अर्धवार्षिक स्व-मूल्यांकन प्रस्तुत करने के लिए)।
15.04.2026 (केआरए के लिए द्वितीय अर्धवार्षिक स्व-मूल्यांकन प्रस्तुत करने के लिए)।

इसे प्रधान महालेखाकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता./-

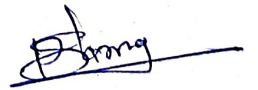
वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी (एसएमयू)

सं. एसएमयू/2025-26/एफ-46/एसटीआर-2254 से 2267

दिनांक 09/11/2025

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रति-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), म.प्र., ग्वालियर
2. उपमहालेखाकार/एमजी-I, एमजी-II, एमजी-III, एमजी-IV एवं एमजी-V
3. वरि. ले.प.अ./आईटीए, एपीडीएसी/रिपोर्ट, रिपोर्ट (पीएसी)
4. वरि. ले.प.अ./आईएस विंग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. श्री उत्कर्ष यादव, स.ले.प.अ. को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. सहायक निदेशक/राजभाषा को हिंदी अनुवाद हेतु।
7. गार्ड फाइल



वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी (एसएमयू)